/।.

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

अधिसूचना

संख्या–क0नि0–2– 1512 /ग्यारह-9(386)/94-ऐक्ट-74-56-नियम-1957-2008-आदेश-(19)

लखनऊ :: दिनांक :: मई 12 ,2008

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1956) की धारा 13 की उपधारा (3) और (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश)(तृतीय संशोधन) नियमावली, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 - (1) यह नियमावली केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2008 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम-2 का संशोधन

2- केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1957, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-2 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) तथा (घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगे अर्थात् :

स्तम्भ -1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) "कर निर्धारण प्राधिकारी", "सर्किल", "व्यापार का बन्द होना" तथा "बिक्रीकर अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 अथवा जैसा तदाधीन बनाये गये नियमों में समनुदेशित है।	(ग) "कर निर्धारण प्राधिकारी", "मंडल", "कॉरपोरेट मंडल", "व्यापार का बन्द होना" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम, 2008 अथवा तदधीन बनाये गये नियमों में समनुदेशित है।
घ) "**कमिश्नर**" से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कमिश्नर बिक्रीकर तथा अतिरिक्त कमिश्नर या संयुक्त कमिश्नर या उपकमिश्नर बिक्रीकर, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, भी सम्मिलित है।	(घ) "**कमिश्नर**" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य कर कमिश्नर के रुप में नियुक्त व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशेष कमिश्नर वाणिज्य कर, अपर कमिश्नर वाणिज्य कर और संयुक्त कमिश्नर वाणिज्य कर सम्मिलित है।

नियम-4 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नियम -4 में उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ -1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(क) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के क्रम मे सभी खरीद एवं बिक्री, जिसमें ऐसे बिक्री के लेखे हों, प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग दर्शायी जायेगी -	(क) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के क्रम मे सभी खरीद एवं बिक्री, जिसमें ऐसे बिक्री के लेखे हों, प्रत्येक वस्तु के लिए अलग-अलग दर्शायी जायेगी -
(i) सरकार को, जो पंजीकृत व्यापारी न हो , किसी माल का केन्द्रीय नियमावली के प्रपत्र "घ" के विरूद्व विक्रय,	
(ii) पंजीकृत व्यापारियों को, केन्द्रीय नियमावली के प्रपत्र "ग" के विरूद्व अधिनियम की धारा 8 की उपधारा-(3) में अभिदिष्ट वर्णित माल का विक्रय, और	(i) पंजीकृत व्यापारियों को, केन्द्रीय नियमावली के प्रपत्र "ग" के विरूद्व अधिनियम की धारा 8 की उपधारा-(3) में अभिदिष्ट वर्णित माल का विक्रय , और
(iii) सरकार, या ऐसे पंजीकृत व्यापारियों के अलावा अन्य व्यक्तियो को किया गया विक्रय; और	(ii) ऐसे पंजीकृत व्यापारियों के अलावा अन्य व्यक्तियो को किया गया विक्रय; और

नियम-5 का संशोधन

4- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ -1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-2** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(5) **विवरणी(रिटर्न)-** प्रत्येक व्यापारी जो अधिनियम के अन्तर्गत कर अदा करने का उत्तरदायी है, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अपने द्वारा किये गये विक्रयों के सम्बन्ध में अपने विक्रय- धन का एक विवरण उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 के नियम -41 में नियत रीति से विक्रय धन के	(5) **विवरणी(रिटर्न)--** प्रत्येक व्यापारी जो अधिनियम के अन्तर्गत कर अदा करने का उत्तरदायी है, अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान अपने द्वारा किये गये विक्रयों के सम्बन्ध में अपने विक्रय- धन का एक विवरण उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम-45 में नियत

विवरण के लिए प्रपत्र-1 में प्रस्तुत करेगा --	रीति से विक्रय धन के विवरण के लिए प्रपत्र-1 में प्रस्तुत करेगा --
(क) जिसपर व्यवसाय के स्वामी के या फर्म के किसी एक साझीदार या हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के मामलें में कुटुम्ब के कर्ता या प्रबन्ध कर्ता के अथवा कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी की दशा में निदेशक , प्रबन्धक, अभिकर्ता या प्रधान अधिकारी के, या किसी अवयस्क की दशा में उसके संरक्षक के, या किसी ट्रस्ट की दशा में ट्रस्टी के, अथवा किसी ऐसे अधिकृत अभिकर्ता के जिसे व्यापारी ने लिखित रूप से प्राधिकृत किया हो, या सरकार की दशा में, सरकार द्वारा अधिकृत रूप से प्राधिकृत अधिकारी के, अथवा व्यक्तिगत अन्य समुदाय की दशा में व्यवसाय का प्रबन्ध करने वाले प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए , और	(क) जिसपर व्यवसाय के स्वामी के या फर्म के किसी एक साझीदार या हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के मामलें में कुटुम्ब के कर्ता या प्रबन्ध कर्ता के अथवा कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी की दशा में निदेशक , प्रबन्धक, अभिकर्ता या प्रधान अधिकारी के, या किसी अवयस्क की दशा में उसके संरक्षक के, या किसी ट्रस्ट की दशा में ट्रस्टी के , अथवा किसी ऐसे प्राधिकृत अभिकर्ता के जिसे व्यापारी ने लिखित रूप से प्राधिकृत किया हो, या सरकार की दशा में, सरकार द्वारा अधिकृत रूप से प्राधिकृत अधिकारी के, अथवा व्यष्टियों के अन्य संगम की दशा में व्यवसाय का प्रबन्ध करने वाले प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, और
(ख) जिसे उक्त प्रपत्र-1 में दिये गये रीति से सत्यापित किया जायेगा।	(ख) जिसे उक्त प्रपत्र-1 में दिये गये रीति से सत्यापित किया जायेगा।

नियम-6 का संशोधन

5- उक्त नियमावली में नियम-6 में, नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये उपनियम-(4), उपनियम-(5) तथा स्पष्टीकरण के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम और स्पष्टीकरण रख दिये जायेगे, अर्थात् -

स्तम्भ -1 विद्यमान उपनियम और स्पष्टीकरण	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम और स्पष्टीकरण
(4) उपनियम-(3) के अधीन ली गयी तलाशी के दौरान प्राप्त कोई भी बही, लेखे या अन्य विलेख का अधिनियम के अधीन व्यापारी के कर के दायित्व की छानबीन करने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अभिग्रहित किये जा सकते है। इन बहियों, लेखों ,या अन्य विलेखो के अभिग्रहण कर लेने पर तुरन्त उसकी एक रसीद बनाकर उस व्यापारी या व्यक्ति को देगा	(4) यदि किन्हीं बहियों, लेखों या दस्तावेजों का परीक्षण करने या तलाशी या निरीक्षण करने के दौरान कर निर्धारक प्राधिकारी को यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार हो कि कोई व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन कर या अन्य देयों के भुगतान के दायित्व का अपवंचन करने का प्रयास कर रहा है और यह कि उसके दायित्व की जांच

जिसको उस अभिग्रहण की तारीख से तीन माह के भीतर उनकी ऐसी प्रतिलिपियां अथवा उद्धरण प्राप्त करने के पश्चात, जैसा वह आवश्यक समझे , उनको उस व्यापारी को या उस व्यक्ति को वापस कर देगा जिसकी अभिरक्षा से उन्हे उसने लिया था, यदि व्यापारी अथवा ऐसे व्यक्ति वापस किये गये बही, लेखे या अन्य विलेख अपने को लौटाये जाने की लिखित रूप मे रसीद दे और या भी जिम्मेदारी ले कि जब तक कर निर्धारक अधिकारी उसे अनुमति नही देगा, वह वहियों लेखों व अन्य विलेखो में जैसे की वह बही , लेखे या अन्य विलेख वापसी के समय थे, कोई परिवर्तन नही करेगा । व्यापारी को वहियों , लेखो या अन्य विलेखो को लौटाने से पूर्व उसमें कर निर्धारक प्राधिकारी एक या अधिक स्थानो पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है और सरकारी मुहर लगा सकता है और ऐसे मामलें में व्यापारी को अपने द्वारा दी जाने वाली रसीद पर प्रत्येक बहियो, लेखों या अन्य विलोखो के उन स्थानो की संख्या का उल्लेख करना होगा, जहॉ पर कर निर्धारक प्राधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये हो या मुहर लगायी हो अथवा दोनो उपलब्ध हो ।

करने के प्रयोजन से आवश्यक कोई बात किसी लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज में पायी जा सकती है तो वह ऐसे लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज, जैसा आवश्यक हो, को अभिग्रहीत कर सकता है। कर निर्धारक प्राधिकारी उनके लिए तत्काल रसीद जारी करेगा और ऐसी प्रतिलिपियॉ या उद्धरण लेने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाये, अभिग्रहण के दिनांक से नब्बे दिन की अवधि के भीतर लेखा, रजिस्टर या ऐसे दस्तावेज व्यापारी या ऐसे व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से उन्हें अभिग्रहीत किया गया हो, को वापस करेगा, बशर्ते व्यापारी या उपर्युक्त व्यक्ति उसे वापस किये गये लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज की रसीद लिखित रुप से दे दे । अधिकारी लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज वापस करने से पूर्व उसपर एक या अधिक स्थानों पर अपना हस्ताक्षर करेगा और अपनी सरकारी मोहर लगायेगा, और ऐसे मामले में व्यवहारी या उपर्युक्त व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह उसके द्वारा दी गयी रसीद में स्थानों की संख्या का उल्लेख करें, जहॉ पर ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर प्रत्येक लेखा, रजिस्टर या दस्तावेज पर लगाये गये हों :

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ व्यवहारी ने कोई दस्तावेज मैगनेटिक मीडिया या इलेक्ट्रानिक मीडिया में तैयार किया है तो प्राधिकृत अधिकारी दस्तावेज की प्रतियां और सी0डी0 दो प्रतियों में लेने के बाद और प्रतियों और सी0डी0 पर विभिन्न स्थानों पर अपने हस्ताक्षर करने के बाद ऐसी सामग्री की एक प्रति और सी0डी0 के साथ ऐसे मीडिया को

वापस कर देगा।

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहॉं जब्त किये गये लेखा, रजिस्टर या दस्तावेजों की वापसी प्राप्त करने के लिए सूचना व्यवहारी को या व्यक्ति को भेज दी गयी हो, और व्यापारी तथा ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना की प्राप्ति के बावजूद ऐसे दस्तावेजों की वापसी के लिए नियत दिनांक पर उपस्थित न हो और तत्पश्चात् इसके परिणामस्वरुप जहॉं जब्त किये गये लेखे, या दस्तावेज को व्यापारी या सम्बन्धित व्यक्ति को नब्बे दिनों की समाप्ति पर वापस किया गया हो, तो यह समझा जायेगा कि ऐसे लेखे रजिस्टर या दस्तावेज नब्बे दिन की अवधि के भीतर वापस कर दिये गये है।

(5) उपनियम- (4) में किसी बात के होते हुये भी, उस उपनियम के अधीन किन्ही बहियों, लेखों या अन्य अभिलेखों को अभिग्रहीत करने वाले उस अधिकारी के द्वारा कारणों को लिखित रूप में अंकित करके और कमिश्नर के पूर्व अनुमोदन से इन बहियो, लेखों या अन्य अभिलेखो को ऐसी अवधि तक के लिए , जो उनसे संगत वर्ष के संदर्भ में अधिनियम के अधीन समस्त प्रक्रियाओ के पूर्ण होने की तिथि से 30 दिन से अधिक न हो, रोक सकता है कि जैसा कि वह आवश्यक समझें।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के शब्द " बिक्रीकर अधिकारी " के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा-13, 13-क, 28-क अथवा 28-ग के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत या शक्तिसम्पन्न अधिकारी सम्मिलित है।

(5) उपनियम- (4) में किसी बात के होते हुये भी, उस उपनियम के अधीन किन्ही बहियों, लेखों या अन्य अभिलेखों को अभिग्रहीत करने वाले उस अधिकारी के द्वारा कारणों को लिखित रूप में अंकित करके और कमिश्नर के पूर्व अनुमोदन से इन बहियो, लेखों या अन्य अभिलेखो को ऐसी अवधि तक के लिए , जो उनसे संगत वर्ष के संदर्भ में अधिनियम के अधीन समस्त प्रक्रियाओ के पूर्ण होने की तिथि से तीस दिन से अधिक न हो, रोक सकता है कि जैसा कि वह आवश्यक समझें।

स्पष्टीकरण :- इस नियम में पद ''कर निर्धारक प्राधिकारी'' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-45, 46, 48 अथवा 50 के प्रयोजन हेतु प्राधिकृत या शक्तिसम्पन्न अधिकारी सम्मिलित हैं।

नियम-8 का संशोधन

6- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ -1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8.(1) एक पंजीकृत व्यापारी जो केन्द्रीय नियमावली के नियम-12 में अभिदिष्ट घोषणा अथवा प्रमाण पत्र के सादे प्रपत्रो को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने सर्किल के, बिक्रीकर अधिकारी को जहॉ वह पंजीकृत हो, प्रपत्रो को जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र देगा । प्रार्थना पत्र को केन्द्रीय नियमावली के नियम-3 के उपनियम-(1) के खण्ड(क) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा ।	8.(1) एक पंजीकृत व्यापारी जो केन्द्रीय नियमावली के नियम-12 में अभिदिष्ट घोषणा अथवा प्रमाण पत्र के सादे प्रपत्रो को प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने मण्डल के, अथवा कारपोरेट मण्डल के कर निर्धारक प्राधिकारी को जहॉ वह पंजीकृत हो, प्रपत्रो को जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र देगा । प्रार्थनापत्र को केन्द्रीय नियमावली के नियम-3 के उपनियम-(1) के खण्ड(क) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से किसी के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा ।
(2) कोई सादा प्रपत्र तब तक जारी नहीं किये जायेंगे, जब तक कि व्यापारी एक प्रपत्र के लिए पॉच रुपये की दर से शुल्क न अदा कर दे । शुल्क सरकारी कोषागार या उपकोषागार या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा या उसके समनुषंगी बैंक या इस निमित्त जमा को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जमा किया जायेगा और प्राप्त कोषागार चालान की एक प्रति ऐसे प्रपत्रों के लिए प्रार्थना पत्र के साथ लगा दी जायेगी । शुल्क की धनराशि का भुगतान प्रार्थना पत्र पर न्यायालय फीस स्टाम्प लगाकर भी किया जा सकेगा ।	(2) कोई सादा प्रपत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा, जब तक कि व्यापारी एक प्रपत्र के लिए पॉच रुपये की दर से शुल्क न अदा कर दे । शुल्क सरकारी कोषागार या उपकोषागार या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा या उसके समनुषंगी बैंक या इस निमित्त जमा को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जमा किया जायेगा और प्राप्त कोषागार चालान की एक प्रति ऐसे प्रपत्रों के लिए प्रार्थना पत्र के साथ लगा दी जायेगी । शुल्क की धनराशि का भुगतान प्रार्थना पत्र पर न्यायालय फीस स्टाम्प लगाकर भी किया जा सकेगा ।
(3) यदि बिक्रीकर अधिकारी की संतुष्टि हो जाय कि व्यापारी की मांग सादे प्रपत्रों हेतु वास्तविक और तर्कसंगत है, तो वह उन्हें जितना उचित समझे उतनी संख्या में उसे जारी कर सकेगा । यदि जारी किये गये प्रपत्रों से	(3) यदि कर निर्धारक प्राधिकारी की संतुष्टि हो जाय कि व्यापारी की मांग सादे प्रपत्रों हेतु वास्तविक और तर्कसंगत है, तो वह उन्हें जितना उचित समझे उतनी संख्या में उसे जारी कर सकेगा । यदि जारी किये गये प्रपत्रों

भुगतान की गयी शुल्क अधिक हो तो शेष धनराशि व्यापारी के लेखे में जमा रखी जायेगी , जिसे अगले ऐसे अन्य जारी प्रपत्रों के विरूद्व समायोजित की जायेगी या प्रार्थनापत्र देने पर उसे वापस किया जा सकेंगा । बिक्रीकर अधिकारी प्रत्येक प्रकार के प्रपत्रो के लिए व्यापारी द्वारा अदा की गयी शुल्क और उसे जारी किये गये प्रपत्रों का अलग-अलग प्रपत्र II तथा III के रजिस्टरो में लेखे रखेगा।

(4)(क) कोई भी व्यापारी इस नियम के उपबन्धों के अनुसार यथारूप से प्राप्त प्रपत्रों के अतिरिक्त, जिन्हें उपनियम-(14) के अन्तर्गत अप्रचलित अथवा अवैध न घोषित किया गया हो, अन्य किसी प्रपत्र में घोषणा अथवा प्रमाण पत्र नहीं दे सकेगा।

(ख) कोई भी व्यापारी अन्य राज्य के किसी व्यापारी से कोई ऐसा घोषणा या प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं कर सकेगा जब तक कि वह ऐसे व्यापारी के द्वारा प्राप्त किये गये प्रपत्र पर जो उपयुक्त राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(3) और (4) के अधीन बनाये गये तदाधीन नियम में नियत अधिकारी द्वारा वर्णित न हो , शर्त यह है कि वह प्रपत्र उपयुक्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमावली के अधीन नियत प्राधिकारी के द्वारा अप्रचलित या अवैध घोषित न किया गया हो।

(5) उपनियम- (1) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा प्राप्त प्रत्येक प्रपत्र और ऐसे व्यापारी द्वारा अन्य व्यापारी से प्राप्त प्रत्येक घोषणा या प्रमाण पत्र का प्रपत्र जो प्राप्त किया जाता है या सरकार के

से भुगतान की गयी शुल्क अधिक हो तो शेष धनराशि व्यापारी के लेखे में जमा रखी जायेगी , जिसे अगले ऐसे अन्य जारी प्रपत्रों के विरूद्व समायोजित की जायेगी या प्रार्थनापत्र देने पर उसे वापस किया जा सकेंगा . । कर निर्धारक प्राधिकारी प्रत्येक प्रकार के प्रपत्रों के लिए व्यापारी द्वारा अदा की गयी शुल्क और उसे जारी किये गये प्रपत्रों का अलग-अलग प्रपत्र II तथा III के रजिस्टरो में लेखे रखेगा।

(4)(क) कोई भी व्यापारी इस नियम के उपबन्धों के अनुसार यथारूप से प्राप्त प्रपत्रों के अतिरिक्त, जिन्हें उपनियम-(14) के अन्तर्गत अप्रचलित अथवा अवैध न घोषित किया गया हो, अन्य किसी प्रपत्र में घोषणा अथवा प्रमाण पत्र नहीं दे सकेगा।

(ख) कोई भी व्यापारी अन्य राज्य के किसी व्यापारी से कोई ऐसा घोषणा या प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं कर सकेगा जब तक कि वह ऐसे व्यापारी के द्वारा प्राप्त किये गये प्रपत्र पर जो उपयुक्त राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-13 की उपधारा-(3) और (4) के अधीन बनाये गये तदधीन नियम में नियत अधिकारी द्वारा वर्णित न हो , शर्त यह है कि वह प्रपत्र उपयुक्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमावली के अधीन नियत प्राधिकारी के द्वारा अप्रचलित या अवैध घोषित न किया गया हो।

(5) उपनियम- (1) के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा प्राप्त प्रत्येक प्रपत्र और ऐसे व्यापारी द्वारा अन्य व्यापारी से प्राप्त प्रत्येक घोषणा या प्रमाण पत्र का प्रपत्र जो प्राप्त किया जाता है

विभाग से प्राप्त किया जाता है उसके द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा और ऐसे किसी प्रपत्र के खोने, नष्ट होने या चोरी चले जाने से हुई क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी प्रपत्र के नष्ट अथवा चोरी होने के फलस्वरुप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष राजस्व की क्षति के लिए, यदि कोई हो, वह जिम्मेदार होगा।

(6) प्रत्येक व्यापारी, प्रपत्र- IV तथा V के रजिस्टर में, उपनियम-(1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त या किसी अन्य व्यापारी द्वारा उसे उपयुक्त राज्य सरकार के नियमों के अधीन प्रदा, जैसी भी स्थिति हो , प्रत्येक प्रकार के प्रपत्रों का सत्य एवं पूर्ण लेखा रखेगा।

(7) यदि व्यापारी द्वारा उपनियम-(1) के अधीन प्राप्त सादे प्रपत्र या अन्य व्यापारी द्वारा अथवा सरकार के विभाग द्वारा उसे प्रदा यथोचित रुप से पूर्णतया भरा हुआ प्रपत्र खो जाये, नष्ट हो जाये अथवा चोरी हो जाये , चाहे ऐसा नकुसान, क्षति या चोरी तब हो जब यह ऐसे व्यापारी के संरक्षण मे हों जिसमें उसे उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किया हो या जो उसे दूसरे व्यापारी से मिला हो या दूसरे व्यापारी अथवा बिक्रीकर अधिकारी के पास पारेषण के दौरान मे हो, वह तुरन्त इस तथ्य की सूचना संबंधित बिक्रीकर अधिकारी को देगा, और प्रपत्र-IV या प्रपत्र- V के रजिस्टर के विशेष विवरण के स्तम्भ में समुचित प्रविष्टि करेगा, जैसी भी स्थिति हो, और **बिक्रीकर अधिकारी** के निर्देशानुसार ऐसे खोने , नष्ट होने या चोरी चले जाने की सार्वजनिक सूचना जारी करने हेतु कुछ अन्य कार्यवाही करेगा।

या सरकार के विभाग से प्राप्त किया जाता है उसके द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा और ऐसे किसी प्रपत्र के खोने, नष्ट होने या चोरी चले जाने से हुई क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी प्रपत्र के नष्ट अथवा चोरी होने के फलस्वरुप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष राजस्व की क्षति के लिए, यदि कोई हो, वह जिम्मेदार होगा।

(6) प्रत्येक व्यापारी, प्रपत्र- IV तथा V के रजिस्टर में, उपनियम-(1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त या किसी अन्य व्यापारी द्वारा उसे उपयुक्त राज्य सरकार के नियमों के अधीन प्रदा, जैसी भी स्थिति हो , प्रत्येक प्रकार के प्रपत्रों का सत्य एवं पूर्ण लेखा रखेगा।

(7) यदि व्यापारी द्वारा उपनियम-(1) के अधीन प्राप्त सादे प्रपत्र या अन्य व्यापारी द्वारा अथवा सरकार के विभाग द्वारा उसे प्रदा यथोचित रुप से पूर्णतया भरा हुआ खो जाये, नष्ट हो जाये अथवा चोरी हो जाये , चाहे ऐसा नकुसान, क्षति या चोरी तब हो जब यह ऐसे व्यापारी के संरक्षण मे हों जिसमें उसे उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किया हो या जो उसे दूसरे व्यापारी से मिला हो या दूसरे व्यापारी अथवा कर निर्धारक प्राधिकारी के पास पारेषण के दौरान मे हो, वह तुरन्त इस तथ्य की सूचना संबंधित कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा, और प्रपत्र-IV या प्रपत्र- V के रजिस्टर के विशेष विवरण के स्तम्भ में समुचित प्रविष्टि करेगा, जैसी भी स्थिति हो, और **कर निर्धारक प्राधिकारी** के निर्देशानुसार ऐसे खोने , नष्ट होने या चोरी चले जाने की सार्वजनिक सूचना जारी करने हेतु कुछ अन्य

	कार्यवाही करेगा।
(8) उपनियम-(7) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर **बिक्रीकर अधिकारी -**	(8) उपनियम-(7) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर **कर निर्धारक प्राधिकारी --**
(क) ऐसी छानबीन के बाद , यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे निश्चित करेगा कि उसके लिए कितनी धनराशि और कितने समय के भीतर, क्षति पूर्ति बन्धपत्र, जो केन्द्रीय नियमावली के नियम-12 के उपनियम-(2) में अभिदिष्ट है , व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, और	(क) ऐसी छानबीन के बाद , यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे निश्चित करेगा कि उसके लिए कितनी धनराशि, और कितने समय के भीतर क्षति पूर्ति बन्धपत्र जो केन्द्रीय नियमावली के नियम-12 के उपनियम-(2) में अभिदिष्ट है ,व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, और
(ख) व्यापारी को उक्त क्षति होने, नष्ट होने या चोरी चले जाने से सम्बन्धित जैसा वह आवश्यक समझे, सार्वजनिक सूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश देगा। इस आदेश की एक प्रति व्यापारी पर तामील की जायेगी, तदुपरान्त वह इसके तद्नुसार कार्य करेगा।	(ख) व्यापारी को उक्त क्षति होने, नष्ट होने या चोरी चले जाने से सम्बन्धित जैसा वह आवश्यक समझे, सार्वजनिक सूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश देगा। इस आदेश की एक प्रति व्यापारी पर तामील की जायेगी, तदुपरान्त वह इसके तद्नुसार कार्य करेगा।
(9) उपनियम -(8) में वर्णित क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, जो केन्द्रीय नियमावली के नियम-3 के उपनियम-(1) के खण्ड-क या नियम-12 के उपनियम-(8) में अभिदिष्ट व्यक्तियों में किसी एक के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।	(9) उपनियम -(8) में वर्णित क्षतिपूर्ति बन्धपत्र, जो केन्द्रीय नियमावली के नियम-3 के उपनियम-(1) के खण्ड-क या नियम-12 के उपनियम-(8) में अभिदिष्ट व्यक्तियों में किसी एक के द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
(10) सभी अप्रयुक्त प्रपत्र जो व्यापार बन्द हो जाने या उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के निरस्त होनें पर व्यापारी के पास स्टाक मे अवशेष हो ---	(10) सभी अप्रयुक्त प्रपत्र जो व्यापार बन्द हो जाने या उसके पंजीकरण प्रमाण पत्र के निरस्त होनें पर व्यापारी के पास स्टाक मे अवशेष हो ---
(क) ऐसे बन्द होने के पश्चात उस पर किये गये कोई भी सम्व्यवहार के सम्बन्ध में अवैध होंगे,	(क) ऐसे बन्द होने के पश्चात उस पर किये गये कोई भी सम्व्यवहार के सम्बन्ध में अवैध होंगे,
(ख) ऐसे निरसन होने के पश्चात तत्काल अवैध हो जायेंगे, तथा	(ख) ऐसे निरसन होने के पश्चात तत्काल अवैध हो जायेंगे, तथा
(ग) व्यापार बन्द होने या पंजीयन प्रमाण पत्र	(ग) व्यापार बन्द होने या पंजीयन प्रमाण पत्र

के निरसन आदेश की प्रति तामीली होने के बाद , बिक्रीकर अधिकारी को 15 दिन के अन्दर जैसा वह कहें, समर्पित कर देने होगें।

बिक्रीकर अधिकारी ऐसे समर्पित किये गये प्रपत्रो का अभिलेख रजिस्टर में फार्म -III मे रखेगा।

(11) कोई भी व्यापारी जिसने उपनियम-(1) के अधीन प्रपत्र प्राप्त किया हो, अधिनियम की धारा-6, धारा-6क अथवा धारा-8 के वैध प्रयोजन के सिवाय, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा।

(12) घोषणा का प्रमाण पत्र का ऐसा प्रपत्र, जिसके सम्बन्ध मे **बिक्री कर अधिकारी** को उपनियम-(7) के अधीन सूचना प्राप्त हो चुकी हो, नियम8-क के प्रयोजन के लिए वैध नहीं होगा।

(13) कमिश्नर समय समय पर सरकारी गजट में ऐसे प्रपत्रों के ब्यौरे प्रकाशित करेगा जिसके सम्बन्ध में उपनियम-(7) के अधीन सूचना प्राप्त हो चुकी हो।

(14) कमिश्नर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा कर सकता है कि ऐसे विशिष्ट क्रम, डिजाइन या रंग के प्रपत्र ऐसे दिनांक से जैसा वह निर्दिष्ट करे, अप्रचलित तथा अवैध समझे जायेंगे, और उसकी जगह भिन्न क्रम, डिजाइन अथवा रंग के प्रपत्र प्रतिस्थापित कर सकता है।

(15) जब उपनियम-(14) के अधीन कोई विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाती है , तो सभी व्यापारी, कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट दिनांक पर या उससे पूर्व उस क्रम, डिजाइन या रंग के सभी अप्रयुक्त प्रपत्र जो उनके कब्जे में हैं, **बिक्रीकर अधिकारी**

के निरसन आदेश की प्रति तामीली होने के बाद , कर निर्धारक प्राधिकारी को 15 दिन के अन्दर जैसा वह कहें, समर्पित कर देने होगें।

कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे समर्पित किये गये प्रपत्रो का अभिलेख रजिस्टर में फार्म -III मे रखेगा।

(11) कोई भी व्यापारी जिसने उपनियम-(1) के अधीन प्रपत्र प्राप्त किया हो, अधिनियम की धारा-6, धारा-6क अथवा धारा-8 के वैध प्रयोजन के सिवाय, किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित नहीं करेगा।

(12) घोषणा का प्रमाण पत्र का ऐसा प्रपत्र, जिसके सम्बन्ध में **कर निर्धारक प्राधिकारी** को उपनियम-(7) के अधीन सूचना प्राप्त हो चुकी हो, नियम8-क के प्रयोजन के लिए वैध न होगा।

(13) कमिश्नर समय समय पर सरकारी गजट में ऐसे प्रपत्रों के ब्यौरे प्रकाशित करेगा जिसके सम्बन्ध में उपनियम-(7) के अधीन सूचना प्राप्त हो चुकी हो।

(14) कमिश्नर सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषणा कर सकता है कि ऐसे विशिष्ट क्रम, डिजाइन या रंग के प्रपत्र ऐसे दिनांक से जैसा वह निर्दिष्ट करे अप्रचलित तथा अवैध समझे जायेंगे और उसकी जगह भिन्न क्रम , डिजाइन अथवा रंग के प्रपत्र प्रतिस्थापित कर सकता है।

(15) जब उपनियम-(14) के अधीन कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की जाये तो सभी व्यापारी, कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट दिनांक पर या उससे पूर्व उस क्रम, डिजाइन या रंग के सभी अप्रयुक्त प्रपत्र जो उनके कब्जे में हैं, **कर**

को वापस कर देंगे और उनके बदले में ऐसे नये प्रपत्र जो उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया हो, प्राप्त करेंगें :

प्रतिबन्ध यह है कि नये प्रपत्र किसी भी व्यापारी को तब तक जारी नहीं किये जायेंगे जब तक वह पूर्व में जारी सभी प्रपत्र का, जो उसे जारी किये गये है लेखा न दे दे और अवशेष प्रपत्र यदि कोई हो, **बिक्रीकर अधिकारी** को वापस न कर दिये हो।

(16) उपनियम -(1) के अधीन प्राप्त प्रपत्र दूसरे व्यापारी को प्रदान करने के पूर्व केन्द्रीय नियमावली के नियम-12 के उपनियम-(8) में वर्णित व्यक्ति सभी आवश्यक विवरण प्रपत्र में भरेगा और लागू न होने वाले भाग को काट देगा और उस पर यथा विधि हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात वह शब्द मूल एवं द्वितीय से अंकित प्रति को अन्य व्यापारी को देगा और शब्द प्रतिपर्ण अंकित भाग अपने पास रखेगा।

(17) **बिक्रीकर अधिकारी**, उपनियम-(2) के अधीन अगले ऐसे प्रपत्र के जारी करने के आदेश देने के पूर्व , व्यापारी को पूर्व मे जारी प्रपत्रों का लेखा प्राप्त करेगा। वह अपने विवेक से व्यापारी को पहले से जारी किये गये तथा उसके द्वारा प्रयोग किये गये प्रपत्रों के प्रतिपर्ण भागों को भी परीक्षण हेतु मांग कर सकता है।

(18) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का वह विभाग , जो कि अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यापारी नहीं है, अधिनियम की धारा-8 के प्रयोजन हेतु, उस व्यापारी को जिससे माल खरीदा जाये, केन्द्रीय नियमावली के नियम-12

निर्धारक प्राधिकारी को वापस कर देंगे और उनके बदले में ऐसे नये प्रपत्र, जो उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया हो, प्राप्त करेंगें :

प्रतिबन्ध यह है कि नये प्रपत्र किसी भी व्यापारी को तब तक जारी नहीं किये जायेंगे जब तक वह पूर्व में जारी सभी प्रपत्र का , जो उसे जारी किये गये है लेखा न दे दे और अवशेष प्रपत्र यदि कोई हो, **कर निर्धारक प्राधिकारी** को वापस न कर दिये हो

(16) उपनियम -(1) के अधीन प्राप्त प्रपत्र दूसरे व्यापारी को प्रदान करने के पूर्व केन्द्रीय नियमावली के नियम-12 के उपनियम-(8) में वर्णित व्यक्ति सभी आवश्यक विवरण प्रपत्र में भरेगा और लागू न होने वाले भाग को काट देगा और उस पर यथा विधि हस्ताक्षर करेगा । तत्पश्चात वह शब्द मूल एवं द्वितीय से अंकित प्रति को अन्य व्यापारी को देगा और शब्द प्रतिपर्ण अंकित भाग अपने पास रखेगा।

(17) **कर निर्धारक प्राधिकारी** उपनियम-(2) के अधीन अगले ऐसे प्रपत्र के जारी करने के आदेश देने के पूर्व , व्यापारी को पूर्व मे जारी प्रपत्रों का लेखा प्राप्त करेगा । वह अपने विवेक से व्यापारी को पहले से जारी किये गये तथा उसके द्वारा प्रयोग किये गये प्रपत्रों के प्रतिपर्ण भागों को भी परीक्षण हेतु मांग कर सकता है।

के उपनियम (1) में संदर्भित प्रपत्र ''घ'' में प्रमाण पत्र देगा। विक्रेता व्यापारी को प्रमाण पत्र की पूर्ति करने के पूर्व, विभाग का प्राधिकृत अधिकारी, प्रपत्र में अपेक्षित सभी विवरण को भरेगा, उन अंशों को जो लागू न हो, उसे काट देगा, उस पर अपनी मोहर लगायेगा और हस्ताक्षर करेगा। तत्पश्चात प्रपत्र का प्रतिपर्ण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रख ली जायेगी और उसके द्वारा तैयार अन्य दो भाग शब्द "मूल" और " द्वितीय" अंकित विक्रेता व्यापारी को दी जायेगी।

नियम 8-क का संशोधन

7- उक्त नियमावली के नियम 8-क में उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ -1 विद्यमान उपनियम खण्ड	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(क) कि उसने अन्तर्राज्यीय बिक्री किसी पंजीकृत व्यापारी को या केन्द्रीय सरकार के अथवा राज्य सरकार विभाग को किया है , या	(क) कि उसने अन्तर्राज्यीय बिक्री किसी पंजीकृत व्यापारी को की है ,या

नियम 8-ग का संशोधन

8- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 8-ग के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ -1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(8-ग) अपील तथा तत्सम्बन्धी आनुषंगिक विषय ---	**(8-ग) अपील तथा तत्सम्बन्धी आनुषंगिक विषय ---**
(1) अधिनियम- की धारा -7 की उपधारा (3-ज) के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम -1948 के अधीन अपीलीय अधिकारी, अपील सुनने वाला प्राधिकारी, होने के अधिकार रखेगा।	(1) अधिनियम- की धारा -7 की उपधारा (3-ज) के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अधीन अपीलीय अधिकारी, अपील सुनने वाला प्राधिकारी, होगा।
(2) अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (2-क) अथवा (3-क) अथवा (3-घ) अथवा (3-ड़) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल	(2) अधिनियम की धारा-7 की उपधारा (2-क) अथवा (3-क) अथवा (3-घ) अथवा (3-ड.) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील

करने से पूर्व व्यापारी अपने द्वारा देय प्रतिभूति की विवादित राशि के रुप में प्रत्येक एक हजार (या उसके भाग) के लिए पांच रुपये की दर से शुल्क जमा की जायेगी जो अधिकतम् एक सौ रुपये होगी ।

(3) अपील दाखिल करने और सुनने की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 और उसके निमि‍ा नियमावली में वर्णित है ।

दाखिल करने से पूर्व व्यापारी अपने द्वारा देय प्रतिभूति की विवादित राशि के रुप में प्रत्येक एक हजार (या उसके भाग) के लिए पांच रुपये की दर से शुल्क जमा करेगा जो अधिकतम् एक सौ रुपये होगी ।

(3) अपील दाखिल करने और सुनने की प्रक्रिया उसी प्रकार होगी जैसी कि उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम, 2008 और उसके निमित्त नियमावली में विहित है ।

नियम-9 का संशोधन

9- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ -1 में, दिये गये नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् -

स्तम्भ -1

विद्यमान नियम

(9) राज्य के अधिनियम और नियम का लागू होना :- उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम - 1948 तथा उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली -1948 जैसा समय समय पर संशोधित किया जाये और इस अधिनियम के अनुरुप हां या उनके तहत बनाये गये नियम और उपबन्ध और अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारण के लिए उत्तरदायी व्यापारियों पर लागू होंगे।

स्तम्भ-2

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(9) राज्य के अधिनियम और नियम का लागू होना :- समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम, 2008 और उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर नियमावली, 2008 के उपबंध, जहां तक वे अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली से असंगत न हों, अधिनियम के अधीन कर निर्धारण के दायी व्यापारियों पर लागू होंगे।

फार्म-1 का संशोधन

10 उक्त नियमावली में, नीचे अनुसूची -'क' में उल्लिखित विद्यमान फार्म-1 के स्थान पर अनुसूची-''ख'' में यथा उल्लिखित फार्म-1 रख दिया जायेगा, अर्थातः–

विद्यमान फार्म–1

अनुसूची- 'क'

फार्म-1

विक्रय धन का विवरण -पत्र

कर निर्धारण वर्ष............................के..................को समाप्त होने वाले मास / होने वाली तिमाही का विवरण-पत्र......................रजिस्ट्रेशन चिन्ह तथा संख्या ....व्यापारी का नाम ....प्रास्थिति......................(व्यक्ति विशेष, अविभक्त हिन्दू परिवार, एसोसियेशन, क्लब, सोसायटी, फर्म, कम्पनी, संरक्षक अथवा ट्रस्टी) ।

1. कुल विक्रय-धन, जिसमें राज्य के बाहर स्थित व्यापार के स्थान (स्थानों) अथवा अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) अथवा निर्देष्टा (निर्देष्टाओं) को बिक्री के अतिरिक्त अन्य प्रकार से अन्तरित किये गये माल का मूल्य सम्मिलित है किन्तु भाड़ा, सम्प्रदान या प्रतिष्ठान का व्यय, जबकि ऐसा व्यय अलग से लिया जायें, सम्मिलित नहीं है।

घटाइये

(क) ऐक्ट की धारा 4 में यथापरिभाषित राज्य के बाहर विक्रीत माल का विक्रय धन ....रूपये

(ख) ऐक्ट की धारा 5 में यथापरिभाषित भारत के बाहर निर्यात के दौरान विक्रीत माल का विक्रय-धन ....रूपये

(ग) राज्य के भीतर विक्रीत माल का विक्रय धन ....रूपये

(घ) सम्प्रदान (डिलिवरी) के दिनांक से छः मास की अवधि के भीतर जैसा कि ऐक्ट की धारा 8-क में दिया गया है क्रेता द्वारा व्यापारी को लौटाये गये माल का विक्रय-धन ....रूपये

(ड़) राज्य के बाहर स्थित व्यापार के स्थान (स्थानों) अथवा अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) अथवा निर्देष्टा) को बिक्री के अतिरिक्त अन्य प्रकार से अन्तरित किये गये माल का मूल्य, जिसके संबंध में ऐक्ट की धारा-6 क के अधीन कर-मुक्ति का दावा किया जा रहा है। ....रूपये

2. शेष

अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान विक्रीत माल का विक्रय-धन ....रूपये

घटाइये

(क) अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान विक्रीत ऐसे माल का विक्रय-धन जो उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 4 के अधीन बिना किसी शर्त के मुक्त हो .... रूपये

(ख) माल के अधिकार के लेख्यों के अन्तरण द्वारा क्रीत तथा विक्रीत माल का विक्रय-धन, जिस पर उक्त ऐक्ट की धारा 6 (2) के अधीन कर-मुक्ति का दावा किया गया है ....रूपये

3. शेष

अन्तर्राज्यीय विक्रय के संबंध में कर देय विक्रय-धन ....रूपये

4. उपर्युक्त का माल के हिसाब से ब्योरेवार विवरण

(1) घोषित माल-

(क) नियत घोषणा-पत्रों पर रजिस्टर्ड व्यापारियों को विक्रीत ....रूपये

(ख) नियत घोषणा-पत्रों पर सरकार को विक्रीत ....रूपये

(ग) अन्य प्रकार से विक्रीत ....रूपये

(2) अन्य माल-

(क) नियत घोषणा-पत्रों पर रजिस्टर्ड व्यापारियों को विक्रीत ....रूपये

(ख) नियत घोषणा-पत्रों पर सरकार को विक्रीत ....रूपये

(ग) अन्य प्रकार से विक्रीत ....रूपये

5. कर-देय विक्रय-धन

(1) ....प्रतिशत की दर से........रूपये जिस पर कर......... रूपये होता है।

(2) ....प्रतिशत की दर से........रूपये जिस पर कर......... रूपये होता है।

(3) ....प्रतिशत की दर से........रूपये जिस पर कर......... रूपये होता है।

(4) ....प्रतिशत की दर से........रूपये जिस पर कर......... रूपये होता है।

(5) ....प्रतिशत की दर से........रूपये जिस पर कर......... रूपये होता है।

(6) ....प्रतिशत की दर से........रूपये जिस पर कर......... रूपये होता है।

(7) ....प्रतिशत की दर से........रूपये जिस पर कर......... रूपये होता है।

योग................ रूपये योग................ रूपये

6. ट्रेजरी चालान / बैंक ड्राफ्ट / चेक

संख्या....................... दिनांक .... द्वारा

दिया गया कर, यदि कोई हो..रूपये

7. शेष देय / अधिक दिया गया धन, यदि कोई हो ....रूपये

घोषणा

मै, इस विवरण पत्र के साथ,

(1) निम्नलिखित को किये गये विक्रय की हस्ताक्षरित सूची संलग्न करता हूँ -

(क) सरकार को जिसके सम्बन्ध में ऐक्ट की धारा 8 (1) (क) के अधीन रियायत का दावा किया जा रहा है,

(ख) रजिस्टर्ड व्यापारियों को, जिसके सम्बन्ध में ऐक्ट की धारा 8 (1) (ख) के अधीन रियायत का दावा किया जा रहा है,

(ग) रजिस्टर्ड व्यापारियों को, जिसके सम्बन्ध में ऐक्ट की धारा 6 (2) के अधीन रियायत का दावा किया जा रहा है,

(2) राज्य के बाहर स्थित व्यापार के स्थान (स्थानों) अथवा निर्देष्टा (निर्देष्टाओं) अथवा अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) को किये गये सम्प्रेषणों की जिनके संबंध में ऐक्ट की

धारा 6-क के अधीन कर-मुक्ति का दावा किया जा रहा है, हस्ताक्षरित सूची संलग्न करता हूँ।

(3) उपर्युक्त विक्रयों / सम्प्रेषणों के सम्बन्ध में मुझे अब तक प्राप्त घोषणा-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियॉ भी प्रत्येक प्रकार के घोषणा-पत्र तथा प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में पृथक-पृथक विस्तृत सूची सहित, इसके साथ संलग्न है।

(4) मैं..व्यापार का स्वामी / साझीदार / फर्म का प्रबन्धक / कम्पनीज ऐक्ट के अधीन निगमित कम्पनी का संचालक / मैनेजिंग एजेंट / प्रमुख अधिकारी / अविभक्त हिन्दू परिवार का कर्ता क्लब, एसोशियेशन अथवा सोसाइटी के कारबार का प्रमुख अधिकारी / अवयस्क का संरक्षक / ट्रस्ट का ट्रस्टी / व्यापारी के लिखित प्राधिकार पत्र द्वारा यथाविधि प्राधिकृत उसका अभिकर्ता / सरकार द्वारा यथाविधि प्राधिकृत एतद्द्वारा घोषित तथा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य और पूर्ण है तथा कोई भी बात जानबूझकर न छोड़ी गई है और न असत्य कही गयी है।

स्थान ....हस्ताक्षर..

दिनांक .... प्रास्थिति ....

टिप्पणी - यदि उपर्युक्त घोषणा किसी यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा दी जाये तो विवरण के साथ व्यापारी द्वारा लिखित प्राधिकार पत्र निवेशित किया जाना चाहियें।

अभिस्वीकृति

रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र संख्या .... वाले व्यापारी सर्वश्री ....से दिनांक ....से तक की अवधि के लिए विक्रय धन का विवरण-पत्र उसमें उल्लिखित संलग्नको सहित, प्राप्त किया।

स्थान

दिनांक

प्राप्तकर्ता अधिकारी

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित फार्म–1

अनुसूची- "ख "

फार्म-1

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1957 का नियम-5 देंखे]

मासिक / त्रैमासिक कर अवधि की विवरणी

[साफ अक्षरों में भरा जाय]

1.	कर निर्धारण वर्ष	- -
2.	कर अवधि के समापन का दिनांक	- - -
3.	कर निर्धारक प्राधिकारी का पद नाम	-
4.	मण्डल / खण्ड का नाम	-
5.	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	-
6.	कर दाता की पहचान संख्या (टिन)	-

7.	खरीद का विवरण (रू0 में)	
क	वैट वस्तुऐं	
एक	वस्तुओं के संचरण के दौरान हक दस्तावेजों के अन्तरण द्वारा अन्तर प्रान्तीय खरीद	-
दो	उत्तर प्रदेश में प्रान्त बाहर के निर्देष्टा के खाते में खरीद	-
तीन	अन्य खरीद	-
	योग	-
ख	नॉन वैट वस्तुऐं	
एक	वस्तुओं के संचरण के दौरान हक दस्तावेजों के अन्तरण द्वारा अन्तर- प्रान्तीय खरीद	-
दो	उत्तर प्रदेश में प्रान्त बाहर के निर्देष्टा के खाते में खरीद	-
तीन	अन्य खरीद	-
	योग	-
	महायोग [क + ख]	-

8.	सकल अन्तर-प्रान्तीय बिक्री की गणना	
क	सकल आवर्त	
एक	सकल आवर्त , जिसमें राज्य के बाहर स्थित व्यापार स्थल (स्थलों) अथवा अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) अथवा निर्देष्टा (निर्देष्टाओं) को हस्तांतरित माल का मूल्य सम्मिलित है, जो बिक्री के अतिरिक्त हो ।	-
ख	कटौतियाँ (घटाईयें)	
एक	अधिनियम की धारा -4 में परिभाषित राज्य के बाहर की गयी बिक्री का आवर्त	-
दो	अधिनियम की धारा -5 (1) में परिभाषित भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में की गयी बिक्री का आवर्त	-

तीन	अधिनियम की धारा-5 (2) में परिभाषित भारत की सीमा के अन्दर, आयात के अनुक्रम में की गयी बिक्री का आवर्त	-
चार	अधिनियम्म की धारा-5 (3) में परिभाषित भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में बिक्री का आवर्त	-
पाच	राज्य के भीतर की गयी बिक्री का आवर्त	
छह	सम्प्रदान (डिलिवरी) के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर जैसा कि अधिनियम की धारा 8 -क में दिया गया है, क्रेता द्वारा व्यापारी को लौटाये गये माल का आवर्त	-
सात	राज्य के बाहर स्थित व्यापार के स्थान (स्थानों) अथवा अभिकर्ता (अभिकताओं) अथवा निर्देष्टा {निर्देष्टाओं)को बिक्री के अतिरिक्त अन्य प्रकार से अन्तरित किये गये माल का मूल्य , जिसके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 6-क के अधीन करमुक्ति का दावा किया गया है।	-
	योग	-
	सकल अन्तर प्रान्तीय बिक्री =सकल आवर्त - कटौतियाँ [क - ख]	-

9.	सकल अन्तर -प्रान्तीय बिक्री से कटौतियाँ

एक	अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बिक्रीत ऐसे माल के विक्रयधन का आवर्त जो उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम , 2008 के अन्तर्गत बिना किसी शर्त के मुक्त हो ।	-
दो	माल के अधिकार के लेखों के अन्तरण द्वारा क्रीत तथा विक्रीत माल का आवर्त , जिस पर अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन करमुक्ति का दावा किया गया है।	-
तीन.	अधिनियम की धारा 8(6) के अन्तर्गत माल का आवर्त	-
	योग	-

10.	शुद्ध अन्तर- प्रान्तीय बिक्री की गणना

एक	(क्रमांक 8 में अंकित सकल अन्तर प्रान्तीय बिक्री) - (क्रमांक 9 में अंकित कटौतियाँ)	-

11.	शुद्ध अन्तर-प्रान्तीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्रीकर की गणना

क्र0सं0	कर की दर	वस्तु का नाम	विक्रय मूल्य	कर
	क वैट वस्तुऐं			
एक	@ 1 %			
दो	@ ....% (जैसा कि अधिनियम की धारा 8 (1) में स्थापित किया गया है)			
तीन	@ 4%			
चार	@ 12.5%			
पंाच	@ .....% {अन्य}			
		योग		
	ख नॉन - वैट वस्तुऐं			
एक	@ ....% (जैसा कि अधिनियम की धारा 8 (1) में स्थापित किया गया है)			
दो	@ 20%			

तीन	@ 21%			
चार	@ 32.5%			
पांच	@ …..%{अन्य}			
		योग		
		महायोग		

12.	केन्द्रीय बिक्रीकर के विरुद्ध आई0टी0सी0 का समायोजन	-
13.	कर देयता (रुपये में)=(क्रमांक 11 पर आगणित कर) - (क्रमांक 12 में घोषित धनराशि)	-

14.	जमा किये गये कर का विवरण

बैंक / शाखा का नाम	ट्रेजरी चालान संख्या	दिनांक	कर की धनराशि
योग	अंको में		
योग	शब्दोंमें		

घोषणा

मैं, इस विवरणी पत्र के साथ :-

1- निम्नलिखित को किये गये विक्रय की हस्ताक्षरित सूची संलग्न करता हूँ :–

क- पंजीकृत व्यापारियों को जिसके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(1) के अधीन रियायत का दावा किया जा रहा है ।

ख- पंजीकृत व्यापारियों को, जिसके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन करमुक्ति का दावा किया जा रहा है।

ग- पंजीकृत व्यापारियों को, जिसके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 8(6) के अधीन करमुक्ति का दावा किया जा रहा है।

2- राज्य के बाहर स्थित व्यापार के किसी स्थान (स्थानों) अथवा निदेष्टा (निर्देष्टाओं) अथवा अभिकर्ता (अभिकर्ताओं) को भेजे गये, जिनके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 6-क के अधीन करमुक्ति का दावा किया गया है।

3- उपर्युक्त बिक्री / सम्प्रेषण के सम्बन्ध में घोषणा - पत्र तथा प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ, केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) नियमावली -1957 के नियम-12 के अन्तर्गत दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत अनिवार्य रुप से जमा कर दिये जायेंगे ।

4- मैं --------------------- व्यापार का स्वामी / साझेदार / फर्म का प्रबन्धक / कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित कम्पनी का संचालक / प्रबन्ध अभिकर्ता / प्रमुख अधिकारी / अविभक्त हिन्दु परिवार का कर्ता , क्लब , एसोसिएशन अथवा सोसाइटी के कारोबार का प्रमुख अधिकारी / अवयस्क का संरक्षक / ट्रस्ट का ट्रस्टी / व्यापारी के लिखित प्राधिकार पत्र द्वारा यथा विधि प्राधिकृत उसका अभिकर्ता / सरकार द्वारा यथा विधि प्राधिकृत व्यापारी एतद्द्वारा घोषित तथा सत्यापित करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य और पूर्ण है तथा कोई भी बात जानबूझ कर न छुपाई गयी और न असत्य कही गयी है।

स्थान------------------------ हस्ताक्षर ---------------------

दिनांक ---------------------- प्रास्थिति---------------------

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)

प्रमुख सचिव